



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273586
CG-DL-E-18062026-273586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3083]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3083]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3205(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तहसीलदार ब्रह्मगिरि (राष्ट्रीय राजमार्ग 316) के कि.मी 12.9 किमी से 48 किमी तक उड़ीसा राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-316 पर कि.मी 12.9 किमी से 48.00 किमी तक भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार ब्रह्मगिरि	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH316 के कि.मी 12.9 से कि.मी 48 तक	उड़ीसा	पूरी	ब्रह्मगिरि	1 ब्रह्मगिरि 2 अलारपुर 3 रेबना नुआगां 4 काथुआरेरी 5 हटिया 6 कपिलेस्वरपुर 7 खिल कांटिया 8 नागेश्वर 9 नारनपुर 10 हंडिअलि 11 हरिचंदन पुर 12 भुवनपुर 13 देनाई 14 केउटाकुदी 15 खांडवलपुर 16 गौडाकेरा 17 भुवन पुर 18 जेनापुर 19 गोपीनाथपुर 20 जदुपुर 21 सिएरा 22 पनसपाडा 23 रामेश्वरपुर 24 गोरपुर 25 बांकीजाल 26 सातपडा 27 नुआगां

						28	अरेरा
						29	रेन्धागड
						30	कालिकवरी
						31	दोआनी
						32	गढ रोरंग

[फा.सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2026

S.O. 3205(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Widening & Strengthening from 2 lane to 2 laning with paved shoulders from km. 12.9 to 48 of Tahsildar Brahmagiri (NH316) in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH316 from km 12.900 to 48.000 in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Tahsildar Brahmagiri	NH316 KM 12.9 TO KM 48	ODISHA	PURI	Brahmagiri	1 Brahmagiri 2 Alarpur 3 Rebana nuagan 4 Kathuaareri 5 Hatia 6 Kapileswarpur 7 Khilakantia 8 Nageswar 9 Naranpur 10 Handiali 11 Harichandan pur 12 Bhubanpur 13 Denai 14 Keutakudi 15 Khandualpur

						16	Gaudakera
						17	Bhuban pur
						18	Jenapur
						19	Gopinathpur
						20	Jadupur
						21	Siara
						22	Panasapada
						23	Rameshwarpur
						24	Gorapur
						25	Bankijal
						26	Satapara
						27	Nuagan
						28	Arera
						29	Rendagarh
						30	Kalikabari
						31	Doani
						32	Garh Rorang

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director